न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 176/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00185)

1. गोपाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी श्रीया तहसील लालसोट जिला दौसा।
– अपीलान्ट

बनाम

1. प्रताप पत्र रेवड जाति मीणा निवासी श्रीया तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. भू आंवटन सलाहकार समिति तहसील लालसोट जरिये ए.सी.एम. लालसोट जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 13.03.2001 प्रकरण संख्या 18/1999 उनवानी गोपाल बनाम प्रताप आदि जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आंवटन अधिनियम में पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट
2. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से।

अपील संख्या 177/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00186)

1. गोपाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी श्रीया तहसील लालसोट जिला दौसा।
– अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाश पत्र रेवड जाति मीणा निवासी श्रीया तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. भू आंवटन सलाहकार समिति तहसील लालसोट जरिये ए.सी.एम. लालसोट जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 13.03.2001 प्रकरण संख्या 19/1999 उनवानी गोपाल बनाम प्रकाश आदि जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आंवटन अधिनियम में पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट
2. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 13.03.2001 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। चूँकि उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त दोनों की अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट प्रताप एवं प्रकाश पिसरान रेवडमल जाति मीना निवासी श्रीया ग्राम पंचायत अमराबाद तहसील लालसोट को भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.99 को ग्राम श्रीया तहसील लालसोट में क्रमशः खसरा नं0 114/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं0 114/1 रकबा 1 बीघा भूमि का आंवटन किया गया है। इसी आंवटन से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा ये प्रा.पत्र अन्तर्गत 14 (4) आंवटन निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2001 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाकर आंवटन आदेश दिनांक 28.06.1999 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.03.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट गोपाल पुत्र मूलचंद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2001 एंव भू आंवटन सलाहकार समिति का निर्णय दिनांक 28.06.1999 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि भू आंवटन सलाहकार समिति लालसोट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम पारित आंवटन आदेश दिनांक 28.06.1999 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.नि. 14(4) को अपने निर्णय दिनांक 13.03.2001 को निरस्त आंवटन आदेश की पुष्टि का प्रश्नगत निर्णय विधि, प्रक्रिया, नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत फरमाये जाने के कारण निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम श्रीया तहसील लालसोट पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर बोरिंग कर इंजिन लगा रखा है। जिससे अपीलान्ट उक्त भूमि को सिंचित कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अपीलान्ट भूमिहीन काश्त व्यवसायी आसामी है। उक्त भूमि को अपीलान्ट ने अपने हक में आंवटन करवाने हेतु योग्य अधिनस्थ भू आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.6.1999 आयोजित पंचायत मुख्यालय अमराबाद पर आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर उक्त खसरा नम्बर की भूमि का दो बीघा भू भाग ही अपीलांट के नाम आंवटित किया तथा रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट एक के नाम व 1 बीघा भूमि उसक भाई प्रताप के नाम आंवटित कर दी गई इस प्रकार अपीलांट के पुराने कब्जे काश्त की भूमि में से 2 बीघा भूमि का आंवटन अपीलान्ट के नाम हुआ शेष 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई के नाम फरमाकर योग्य अधिनस्थ भू आंवटन सलाहकार समिति ने इंसाफन एवं कानूनन गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के नाम आंवटित दो बीघा भू भाग के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अ.नि. 14(4) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई के पिता रेवड द्वारा प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 13.03.2001 को निरस्त फरमाया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट व उसके भाई के नाम हुए आंवटन आदेशों को अपीलान्ट ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे उक्त न्यायालय ने इसी दिन निरस्त फरमाया गया योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अनुचित व अवैध रूप से निरस्त फरमाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम आंवटित भूमि पर अपीलान्ट के पूर्व से चले आ रहे आधिपत्य का प्रमाण अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रचलित सूचना पत्र अ.धा. 91 रा.भू.रा.अधि. पटवारी हल्का के प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2000 ई0 से भी प्रमाणित है। अपीलान्ट के भूमिहीन होने व उक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट पूर्व का होने के कारण गलत प्रतिवेदन के आधार पर पारित आंवटन आदेश भू आंवटन समिति व उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में न्यायालय ने बिना जांच विवेचन के निर्णय पारित किया है तथा आधीपत्य के प्रश्न पर अपना कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया जो अहम बिन्दु था। योग्य अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि व्यवस्थाओं के विपरीत अनियमित एवं अपूर्ण तथा अस्पष्ट निर्णय है जो तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 18/99 उनवानी गोपाल बनाम प्रताप एवं प्रकरण संख 19/99 उनवानी गोपाल बनाम प्रकाश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2001 व भू आंवटन सलाहकार समिति का निर्णय दिनांक 28.06.1999 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार भूमि आंवटन मजमे आम में ग्राम पंचायत अमराबाद मुख्यालय पर आयोजित शिविर में किया गया है। अप्रार्थीगण भूमिहीन है। इनके पिता के खाते में 5 बीघा भूमि है। दोनों अप्रार्थीगण के हिस्से में एक–एक बीघा भूमि नोशनल शेयर अनुसार हिस्से में आती है । आंवटन के समय भूमि खाली थी। आंवटीयान को आंवटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.7.1999 को भूमि का कब्जा संभलाया गया है। तब से आज तक कब्जा अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। निरन्तर काश्त करते आ रहे है। आंवटन नियमों की शर्तों की पालना की जा रही है। इसलिए आंवटन निरस्त फरमाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह अपील खारिज कर न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2001 को यथावत रखे जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में भूमि आंवटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। जबकि आंवटन का मुख्य आधार कब्जा काश्त ही नियमानुसार होना अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2001 के विरूद्ध अपील संख्या 176/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00185 उनवानी गोपाल बनाम प्रताप व अन्य एवं अपील संख्या 177/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00186 उनवानी गोपाल बनाम प्रकाश व अन्य आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2001 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :–

1. मौका कमीश्नर नियुक्त कर यह जॉच करायें कि विवादित भूमि पर कब्जा किसका है। यदि कब्जा आंवटी का पाया जाता है तो विधिवत कार्यवाही की जाये। यदि कब्जा अन्य किसी पक्ष का पाया जाये तो अतिक्रमण हटवाया जाकर भूमि को राजकीय घोषित किया जाकर कब्जे राज लिया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।